न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 178/2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पदमाराम पुत्र लालाराम 2. मगाराम पुत्र लालाराम जातियान जाट निवासीयान निम्बली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. निम्बाराम पुत्र मूलाराम 2. लक्ष्मणराम पुत्र मूलाराम 3. विरमाराम पुत्र मूलाराम 4. भारमलराम पुत्र सोनाराम 5. रामाराम पुत्र सोनाराम 6. देराजराम पुत्र सोनाराम 7. रावताराम पुत्र सोनाराम 8. नवलाराम पुत्र रामाराम जातियान जाट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 9. चननी पुत्री दुर्गाराम 10. जोधाराम पुत्र दुर्गाराम 11. पोकरराम पुत्र दुर्गाराम 12. लाछीदेवी पुत्री दुर्गाराम 13. भैराराम पुत्र मेहाराम 14. लिखमाराम पुत्र लाभूराम 15. अचलीदेवी पुत्री ठाकराराम 16. गणपतसिंह पुत्र ठाकराराम 17. चनणीदेवी पुत्री ठाकराराम 18. पुष्पादेवी पुत्री ठाकराराम 19. रूखमोंदेवी पत्नि ठाकराराम जातियान जाट निवासीयान एड अमरसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 20. ग्राम पंचायत पांयला कलां 21. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्रीमति गीता चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:04 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 29.01.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत [illegible] निम्बली पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 10 रकबा 22.

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

7248 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा निम्बली पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 10 रकबा 22.7248 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा निम्बली पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 10 रकबा 22.7248 हैक्टेयर, भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता हैं एवं सेढ़ो की माढों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा निम्बली पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 10 रकबा 22.7248 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि मौजा निम्बली पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 10 रकबा 22.7248 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न, विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार [illegible] उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय मे उपस्थित होकर [illegible] एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा निम्बली पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 10 रकबा 22.7248 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner